बिहार विधान सभा

की

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 707

वित्तीय वर्ष 1989-90 में अनुदान संख्या 27 परिवार कल्याण (स्वास्थ्य) विभाग में हुये अधिकाई व्यय पर समिति का प्रतिवेदन ।

(दिनांक.....को सदन में उपस्थापित)।

विषय–सूची

		पृष्ठ
1.	लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2020–22	1
2.	सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण/प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण।	2
3.	प्राक्कथन	3
4.	प्रतिवेदन	4–8
5.	परिशिष्ट	9–24

विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय 34,46,983
(चौंतीस लाख छियालिस हजार नौ सौ तेरासी रुपये) मात्र।

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वर्ष 2020–22 (सप्तदश बिहार विधान सभा)

सभापति

1. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव — स0वि0स0

सदस्यगण

1. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह — स0वि0स0
2. श्री विजय शंकर दूबे — स0वि0स0
3. श्री अवध विहारी चौधरी — स0वि0स0
4. श्री प्रहलाद यादव — स0वि0स0
5. श्री नीतीश मिश्रा — स0वि0स0
6. श्री विजय कुमार खेमका — स0वि0स0
7. श्री आलोक कुमार मेहता — स0वि0स0
8. श्री मेवालाल चौधरी — स0वि0स0
9. श्री कुमार शैलेन्द्र — स0वि0स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

1. श्री राज कुमार सिंह	सचिव
2. श्री भूदेव राय	निदेशक
3. श्रीमती अनुपमा प्रसाद	अवर–सचिव
4. श्री उमा शंकर यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	सहायक
6. श्री अरबिन्द कुमार दास	सहायक
7. श्री अमित कुमार झा	सहायक
8. सुश्री कंचन कुमारी	सहायक
9. श्री रामायण कुमार	सहायक
10. श्री बिट्टू शर्मा	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय

1. श्री प्रवीण कुमार सिंह	प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
2. श्री रामावतार शर्मा	महालेखाकार (ले0 प0)
3. श्री आदर्श अग्रवाल	उप–महालेखाकार
4. श्री कुन्दन कुमार	वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (ले0 प0)
5. श्री शंभु दयाल	वरीय लेखा अधिकारी (ले0 एवं ह0)
6. श्री संजय कुमार मिश्रा	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ले0 प0)
7. श्री अभय कुमार सिन्हा	सहायक लेखा अधिकारी (ले0 एवं ह0)

वित्त विभाग

1. श्री एस सिद्धार्थ	प्रधान सचिव
2. श्री लोकेश कुमार सिंह	सचिव, संसाधन
3. श्री ओम प्रकाश झा	अपर–सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से वर्ष 1989–90 (विनियोग लेखे) के अनुदान संख्या 27, जो परिवार कल्याण (स्वास्थ्य) विभाग से संबंधित है, अधिकाई व्यय के विनियमितिकरण से संबंधित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 707 प्रस्तुत करता हूँ।

प्रतिवेदन में विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय की राशि 34,46,983 (चौंतीस लाख छियालिस हजार नौ सौ तेरासी रुपये) मात्र है।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 26 मार्च, 2021 को लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग से समिति को वांछित सहयोग मिला है, जिसके लिये मैं समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

बिहार विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को जो सहयोग किया है, वह सराहनीय है। इसके लिये मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

पटना :
दिनांक 26 मार्च, 2021 (ई०)।

सुरेन्द्र प्रसाद यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

वर्ष 2016–17 (राज्य का वित्त) सी0ए0जी0 प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.1 (परिशिष्ट 2.1 का क्रमांक 10) के अन्तर्गत वर्ष अधिकाई व्यय से संबंधित।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1989–90 (विनियोग लेखे) का पृष्ठ संख्या 83 से 85 पर द्रष्टव्य।

अनुदान संख्या 27 परिवार कल्याण

(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष		कुल अनुदान रु0	वास्तविक व्यय रु0	अधिक व्यय + बचत रु0
2211–परिवार कल्याण				
4211–परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
मूल	47,05,94,000	49,36,60,820	49,71,07,803	+34,46,983
अनुपूरक	2,30,66,820			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च, 1990)				8,35,31,000

ऊपर दिखाये गये व्यय में 70,81,439 रुपये शामिल नहीं है, जिन्हें मार्च, 1990 में संस्वीकृत आकस्मिकता निधि के अग्रिमों में से व्यय किया गया था, लेकिन जिनको आपूर्ति निधि में वर्ष के अन्त तक नहीं हो पायी।

टीका और टिप्पणियाँ—

(i) व्यय अनुदान से 34,46,983 रुपये अधिक हुआ। अधिक व्यय का नियमानुकूल अपेक्षित है।

(ii) 34.47 लाख रुपये के अन्तिम अधिक व्यय को देखते हुये, जनवरी, 1990 में प्राप्त किया गया 2,30.67 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(iii) 2,30.67 लाख रुपये के अनुपूरक अनुदान में से 13.00 लाख रुपये मुख्य शीर्ष "2211" के अन्तर्गत उपशीर्षों में अधिक वितरित किये गये।

(iv) 31 मार्च, 1990 में 8,35.31 लाख रुपये प्रत्याशित बचत के रूप में अभ्यर्पित किये गये। अन्त में अनुदान 34.47 लाख रुपये के अन्तिम अधिक व्यय के साथ समाप्त हो गया।

(v) अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

क्रम संख्या	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत
			(लाख रुपयों में)		
क–2211—परिवार कल्याण					
क 2–101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ					
क 2(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना					
1. (i) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र					
	मूल	18,68.85	21,04.58	27,02.60	+5,98.02
	अनुपूरक	2,36.48			
	पुनर्वि0	−0.75			

5,97.27 लाख रुपये के निबल अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (मई, 1992)।

क 3–102—शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ			
क 3(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
2. (i) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	41.17	91.21	+50.04
क 4–103—मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य			
3. क 4 (1) मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	41.08	97.61	+56.53

उपर्युक्त दोनों मामलों में अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (मई, 1992)।

अनुदान संख्या 27 क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत
क 11–796—जनजतीय क्षेत्र उप–योजना					
4.	क11 (1) क्षतिपूर्ति				
	मूल	48.00			
	पुनर्वि०	–8.00	40.00	58.00	+18.00

8.00 लाख रुपया की बचत की प्रत्याशा योजना परिव्यय में कटौती के कारण की गई थी। अन्तिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (मई, 1992)।

(vi) ऊपर टिप्पणी (v) में वर्णित अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों मे)	अधिक व्यय + बचत
कक–4211—परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
कक 1–101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा				
कक 1(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना				
(1) भवन निर्माण				
मूल	4,76.56			
पुनर्वि०	–4,76.56	......	1.90	+1.90

4,76.56 y[k#i:kd hiB kf'kr cpr :9 .u0 .Q0 ih0 .0 :k ukdkfjrh pj kHkgr l jdkj d sLrj ij y fcr jgusd sdkj.k gqbZFkA

(vii) अन्तिम अधिक व्यय को देखते हये निम्नलिखित मामलों में 31 मार्च, 1990 की अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक/अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ —

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत
क–2211—परिवार कल्याण				
क 6–105—क्षतिपूर्ति				

(1) क 6(1) क्षतिपूर्ति

मूल	3,28.00			
		2,36.00	2,85.50	+49.50
पुनर्वि0	−92.00			

92.00 लाख रुपया की प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुई थी। 49.50 लाख रुपया के अन्तिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (मई, 1992)।

क 6(2) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

(i) क्षतिपूर्ति

मूल	12,00.00			
		9,75.00	10,25.99	+50.99
पुनर्वि0	−2,25.00			

2,25.00 लाख रुपया की प्रत्याशित बचत, नसबन्दी के मामलों की संख्या कम रहने के कारण हुई थी 50.99 लाख रुपया के अन्तिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (मई, 1992)।

अनुदान संख्या 27 क्रमांत

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत

क 10–004—अनुसंधान तथा मूल्यांकन

क 10(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

(3) (j) बहुद्देशीय कर्मचारियों का नियोजन एवं प्रशिक्षण

मूल	20.00			
		8.00	15.63	+7.63
पुनर्वि0	−12.00			

12.00 लाख रुपया की बचत की प्रत्याशा कम लोगों को प्रशिक्षण देने के कारण की गई थी। अन्तिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (मई, 1992)।

विभागीय स्पष्टीकरण

पत्रांक 6233, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020

स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 1989–90 में माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत रुपया 34,46,983 (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी रुपये) का अधिकाई व्यय पूँजीगत परिव्यय मद में विनियोग लेखे में प्रतिवेदित है, जिसका नियमितिकरण किया जाना अपेक्षित बताया गया है।

वित्तीय वर्ष 1989–90 के विनियोग लेखे के टीका और टिप्पणियाँ भाग से स्पष्ट हो रहा है कि विभाग द्वारा 31 मार्च, 1990 में 835.31 लाख रुपये प्रत्याशित बचत के रूप में अभ्यर्पित किया गया और अंत में अनुदान संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत 34.47 लाख रुपये अधिक व्यय के साथ समाप्त हो गया। अधिकाई व्यय की इस राशि यथा रुपया 34,46,983 का व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या 12/प0क0–बजट–11–16/2016–774(12), दिनांक 2 नवम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) में यह स्पष्ट किया गया है अधिकाई व्यय की यह राशि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि मद में व्यय किया गया है तथा यह निकासी मुख्यतः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई तथा बाँका में हुई है।

विभाग अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वित्त विभागीय दिशा–निर्देश पत्रांक एम4–05/98–2561/वि0(2), दिनांक 17 अप्रील, 1998 (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका–7 का उल्लेख करते हुये यह भी सूचित किया है की उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 1997–98 के पूर्व वेतनादि मद में राशि की निकासी के लिये आवंटन आदेश की आवश्यकता नहीं होती थी। कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि जो देय होता था, उसका विपत्र तैयार कर कोषागार से सीधे निकासी कर ली जाती थी।

स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या 12/प0क0–बजट–11–16/2016–774(12), दिनांक 2 नवम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) में विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया है कि वित्तीय वर्ष 1989–90 में प्रतिवेदित अधिकाई व्यय की इस राशि में दुर्विनियोजन, चोरी, गबन इत्यादि के मामले शामिल नहीं है। अधिकाई व्यय का यह मामला जिसे नियमितिकरण के लिये प्रस्तावित है, किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं अधिकाई व्यय की इस राशि में ऐसी राशि शामिल नहीं है, जिसकी निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की गई थी और जो समायोजन हेतु लम्बित है। तदालोक में वित्तीय वर्ष 1989–90 में माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत रुपया 34,46,983 (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी रुपये) के अधिकाई व्यय के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग सहमत है।

परिशिष्ट 'क' (पृष्ठ संख्या 9 से 18) पर वित्त विभाग का पत्र संख्या 6233, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 (अनुलग्नक सहित) द्रष्टव्य।

उपरोक्त वित्त विभाग से प्राप्त विभागीय उत्तर पर समिति द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2021 की बैठक में यह निदेश दिया गया कि "महालेखाकार प्राप्त उत्तर की समीक्षा कर समिति को अपने मंतव्य से अवगत करा दें।"

समिति द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 4 फरवरी, 2021 की बैठक में महालेखाकार द्वारा पत्रांक लो0 ले0 स0/आ0–व्यय/20–21/153/148, दिनांक 4 फरवरी, 2021 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

(संबंधित पत्र परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 19 पर द्रष्ट्रव्य)।

विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि यह अधिकाई व्यय वेतन मद का है और पूँजीगत व्यय अन्तर्गत नही आता है। यह व्यय राजस्व व्यय अन्तर्गत आयेगा। समिति द्वारा इस व्यय को राजस्व व्यय अन्तर्गत मानते हुये अपनी अनुशंसा दी गई।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 4 फरवरी, 2021 की बैठक में वित्त विभाग से प्राप्त उत्तर एवं महालेखाकार के मंतव्य पर विमर्शोपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह मामला गबन, दुर्विनियोजन, चोरी इत्यादि का नहीं है और इस मामले से संबंधित कोई विषय न्यायालय में लम्बित नहीं है। अतएव समिति वर्ष 1989–90 के विनियोग लेखे की माँग संख्या 27 में परिवार कल्याण (स्वास्थ्य) विभाग से संबंधित 34,46,983 (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी) के अधिकाई व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ख) के तहत विनियमित करने की अनुशंसा करती है।

नोट—उपर्युक्त अनुशंसा के उपरान्त सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 (राज्य का वित्त) की कंडिका 2.3.1 के परिशिष्ट 2.1 (पृ0 सं0 68) के क्रम संख्या 10 में अंकित आपत्ति उस अंश तक निष्पादित हो गई है। इसके साथ हीं पूर्व के प्रतिवेदनों में भी इस आधिक्य राशि से संबंधित कंडिका आपत्ति अंश निष्पादित हो गई।

पटना :
दिनांक 26 मार्च, 2021 (ई0)।

सुरेन्द्र प्रसाद यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान सभा।

परिशिष्ट

सं० 9/अं०लो०ले०स० (अधि० व्यय)–19/2010/6233/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक

डॉ० एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।

सेवा में

निदेशक,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान सभा, सचिवालय।

पटना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 (ई०)।

विषय––वित्तीय वर्ष 1989–90 में माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत रुपया 34,46,983 के अधिकाई व्यय के नियमितिकरण के संबंध में।

महाशय,

स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 1989–90 में माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत रुपया 34,46,983 (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी रुपये) का अधिकाई व्यय पूँजीगत परिव्यय मद में विनियोग लेखे में प्रतिवेदित है, जिसका नियमितिकरण किया जाना अपेक्षित बताया गया है।

वित्तीय वर्ष 1989–90 के विनियोग लेखे के टीका और टिप्पणियों भाग से स्पष्ट हो रहा है कि विभाग द्वारा 31 मार्च, 1990 में 835.31 लाख रुपये प्रत्याशित बचत के रूप में अभ्यर्पित किया गया और अंत में अनुदान संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत 34.47 लाख रुपये अधिक व्यय के साथ समाप्त हो गया। अधिकाई व्यय की इस राशि यथा रुपया 34,46,983 का व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या 12/प०क०–बजट–11–16/2016–774(12), दिनांक 2 नवम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) में यह स्पष्ट किया गया है अधिकाई व्यय की यह राशि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि मद में व्यय किया गया है तथा यह निकासी मुख्यतः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई तथा बाँका में हुई है।

विभाग अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वित्त विभागीय दिशा–निर्देश पत्रांक एम4–05/98–2561/वि०(2), दिनांक 17 अप्रील, 1998 (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका 7 का उल्लेख करते हुये यह भी सूचित किया है कि उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 1997–98 के पूर्व वेतनादि मद में राशि की निकासी के लिये आवंटन आदेश की आवश्यकता नहीं होती थी। कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि जो देय होता था, उसका विपत्र तैयार कर कोषागार से सीधे निकासी कर ली जाती थी।

स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या 12/प0क0–बजट–11–16/2016–774(12), दिनांक 2 नवम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) में विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया है कि वित्तीय वर्ष 1989–90 में प्रतिवेदित अधिकाई व्यय की इस राशि में दुर्विनियोजन, चोरी, गबन इत्यादि के मामले शामिल नहीं है। अधिकाई व्यय का यह मामला जिसके नियमितिकरण के लिये प्रस्तावित है, किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है एवं अधिकाई व्यय की इस राशि में ऐसी राशि शामिल नहीं है, जिसकी निकासी ए0 सी0 विपत्र के माध्यम से की गई थी और जो समायोजन हेतु लम्बित है।

तद्आलोक में वित्तीय वर्ष 1989–90 में माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत रुपया 34,46,983 (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी रुपये) के अधिकाई व्यय के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग सहमत है।

अतः स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वित्तीय वर्ष 1989–90 में माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत पूँजीगत परिव्यय मद में रुपया 34,46,983 (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी रुपये) के अधिकाई व्यय के नियमितिकरण के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने हेतु लोक लेखा समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
डॉ0 एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।

संख्या 12/प0 क0–बजट–11–16/2016–774(12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

प्रत्यय अमृत (भा0प्र0से0),

प्रधान सचिव।

सेवा में

प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 2 नवम्बर, 2020 (ई0)।

विषय—वित्तीय वर्ष 1989–90 के अन्तर्गत माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत रुपया 34,46,983 (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी रुपया) मात्र के अधिकाई व्यय के नियमितिकरण के संबंध में।

प्रसंग—अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 09/अ0लो0ले0स0 (अ0 व्यय)–19/2010, दिनांक 1 सितम्बर, 2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 1989–90, माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत रुपया 34,46,983 (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी रुपया) मात्र के अधिकाई व्यय वर्ष 1989–90 के विनियोग लेखे में प्रतिवेदित है, जिसका नियमितिकरण किया जाना अपेक्षित बताया गया है।

वित्तीय वर्ष 1989–90 में माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत विनियोग लेखे में प्रतिवेदित अधिकाई व्यय की राशि रुपया 34,46,983 के कारणों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि वेतनादि मद में बजट प्रावधान से अधिक राशि की निकासी की गई है। यह निकासी मुख्यतः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई तथा बांका के कार्यालयों में हुई है।

वित्त विभागीय पत्रांक 2561/वि0, दिनांक 17 अप्रील, 1998 की कंडिका 7 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में कहना है कि वित्तीय वर्ष 1997–98 के पूर्व वेतन एवं भत्ते मद में राशि की निकासी के लिये आवंटन आदेश की आवश्यकता नहीं होती थी। विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों को नियमानुसार जो वार्षिक वेतनवृद्धि, जीवन यापन भत्ता एवं बकाया वेतनादि देय होता था, उसका विपत्र तैयार कर कोषागार से निकासी कर ली जाती थी। वेतन एवं भत्ते मद में बजट प्रावधान कम रहने पर भी निकासी कर ली जाती थी। इस प्रकार यह अधिकाई व्यय वेतन एवं भत्ते मद में बजट प्रावधान से अधिक राशि की निकासी के कारण हुआ है, जो स्थापना व्यय मद से संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 1989–90 में प्रतिवेदित अधिकाई व्यय की इस राशि में दुर्विनियोजन, चोरी, गबन इत्यादि के मामले शामिल नहीं है। अधिकाई व्यय का यह मामला जिसके नियमितिकरण के लिये प्रस्तावित है, किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं अधिकाई व्यय की इस राशि में ऐसी राशि शामिल नहीं है, जिसकी निकासी ए0 सी0 विपत्र के माध्यम की गई थी और जो समायोजन हेतु लम्बित है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वित्तीय वर्ष 1989–90 में माँग संख्या 27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत पूँजीगत परिव्यय मद में 34,46,983 रुपये (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी रुपया) मात्र प्रतिवेदित अधिकाई व्यय को विनियमितिकरण के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने हेतु लोक लेखा समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

[एम4-05/98-2561वि0(2)]

बिहार सरकार
वित्त विभाग

सेवा में

सरकार के सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय विकास आयुक्त, राँची
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त।

पटना, दिनांक 17 अप्रील, 1998

विषय–वित्तीय वर्ष, 1998-99 तथा आगामी वर्षों के लिये निधि निकासी एवं खर्च नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में स्थायी अनुदेश।

निदेशानुसार, वित्त विभाग के ज्ञापांक एम4-10/97-2254/वि0(2), दिनांक 9 अप्रील, 1997 के प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 1998-99 से राज्य कोषागारों से निधि निकासी एवं खर्च नियंत्रण के सम्बन्ध में एक स्थायी निदेश निर्गत किया जाय जो आगामी वित्तीय वर्षों में भी तबतक लागू रहेगा जबतक उसे संशोधित नहीं किया जाता है। तदनुसार, विषय-वस्तु की सम्यक् एवं सम्पूर्ण समीक्षोपरान्त, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष, 1998-99 तथा उसके बाद के वित्तीय वर्षों के लिये निधि निकासी एवं खर्च नियंत्रण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

2. बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 473 के अनुसार सभी विभागों/नियंत्री पदाधिकारियों को अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये उनकी आवश्यकतानुसार, विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए, बजट में प्रावधानित राशि का आवंटन/उप-आवंटन करने तथा नियमों के तहत उसे खर्च करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये कि बजट में प्रावधानित राशि का खर्च सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में समान रूप से हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाये कि वित्तीय वर्ष के कुछ महीनों ही में असमानुपातिक तौर से अत्यधिक राशि का खर्च हो जाय और शेष महीनों के लिए अत्यन्त अल्प या कोई भी राशि खर्च हेतु उपलब्ध नहीं रहे, यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण वर्ष में समानुपातिक तौर से राशि का खर्च किया जाय। यह तभी सम्भव है जबकि विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा, योजना एवं गैर-योजना, दोनों मदों में, बजट अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से प्रत्येक माह मात्र लगभग आठ प्रतिशत राशि ही खर्च की जाय, परन्तु कतिपय अवस्थाओं में ऐसा कर पाना सम्भव नहीं होता है और आवश्यकतावश, कई मामलों में माहवारी प्रतिशत से अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता किसी माह विशेष में पड़ जाती है। उदाहरणार्थ दूरभाष तथा बिजली विपत्रों के भुगतान, कार्यालय व्यय या किसी मंहगी सामग्री के क्रय हेतु किसी माह विशेष में आठ प्रतिशत से अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी प्रकार, योजना मद से होने वाले खर्चों में निर्माण सामग्रियों, यथा बिटुमेन, सीमेन्ट, लोहा, पाइप, मशीनरी इत्यादि की खरीदगी के लिये अथवा संवेदकों के भुगतान के लिये माहवारी प्रतिशत से अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता हो जाती है। अतः निर्णय यह लिया गया है कि माहवारी प्रतिशत का बन्धेज न रखकर, वर्तमान वित्तीय वर्ष, अर्थात्, वर्ष 1998-99 तथा आगामी वर्षों के लिये चार-चार माह की ग्रुपिंग कर दी जाय और प्रत्येक चार माह की अवधि के लिये खर्च की जाने वाली राशि का प्रतिशत निर्धारित कर दिया जाय और इस प्रकार से निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत सम्बन्धित चार माह की अवधि में प्रत्येक विभाग/नियंत्री पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को खर्च करने की छूट रहे। तदनुसार, सभी प्रशासी विभागों/नियंत्री पदाधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष, 1998-99 तथा आगामी वित्तीय वर्षों में, जबतक कि अन्यथा कोई अनुदेश न हो, योजना तथा गैर योजना मद अन्तर्गत अपने विभाग से सम्बन्धित सभी शीर्षों में चार-चार माह की अवधि के लिये अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्न प्रकार से राशि आवंटित करने की कार्रवाई करें:–

(क) 1ली अप्रील से 31 जुलाई तक–बजट में प्रावधानित कुल राशि का 33 (तैंतीस) प्रतिशत।

(ख) 1 ली अगस्त से 30 नवम्बर तक–बजट में प्रावधानित कुल राशि का अतिरिक्त 32 (बत्तीस) प्रतिशत, अर्थात, संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि के 65 (पैंसठ) प्रतिशत तक।

(ग) 1ली दिसम्बर से 31 मार्च तक–बजट में प्रावधानित कुल राशि का अवशेष 35 (पैंतीस) प्रतिशत, अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि के शत-प्रतिशत तक।

3. यहां यह कहना आवश्यक है कि योजना एवं गैर-योजना मदों अन्तर्गत संबंधित योजनाओं की स्वीकृति सक्षम स्तर पर प्राप्त कर लेने तथा उनसे संबंधित स्वीकृत्यादेशों को निर्गत कर देने के बाद ही, विहित प्रक्रिया को अपनाते हुये, संबंधित स्वीकृत्यादेशों में निहित राशि

को उनसे संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को, उनके पदनाम से संबंधित योजनाओं में खर्च करने के लिये संबंधि- धी पदाधिकारी द्वारा, यथा कंडिका (2) में निर्धारित चौमाही प्रतिशत के अनुसार, खर्च हेतु आवंटित किया जा सकेगा।

4. उपर्युक्त प्रकार से प्रत्येक चार माह की अवधि के लिये आवंटित राशि को संबंधित चौमाही में आवश्यकता पर, किसी भी समय एक मुश्त निकासी कर खर्च किया जा सकेगा अथवा उसे संबंधित चौमाही में, यथा आवश्यकतानुसार, संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा खर्च किया जा सकेगा। मात्र प्रतिबन्ध यह रहेगा कि संबंधित चौमाही के लिये जितनी राशि आवंटित है या संचयात्मक रूप से उस चौमाही तक जितनी राशि खर्च के लिये उपलब्ध हो जाती है, उससे अधिक राशि का खर्च, किसी भी परिस्थिति में, बिना वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये हुये, नहीं किया जा सकेगा। इस व्यवस्था अन्तर्गत यदि किसी चौमाही में उस चौमाही के लिये आवंटित की राशि खर्च नहीं हो पाती है तो अन-खर्च की गई राशि व्यपगत नहीं होगी, अपितु वह अगले चौमाही में, संचयात्मक रूप से, खर्च हेतु उपलब्ध रहेगी। वित्तीय वर्ष के अन्त होने पर न खर्च की गई राशि उस वित्तीय वर्ष के लिये व्यपगत समझी जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि पहली अप्रैल से 31 जुलाई तक की चौमाही के लिये आवंटित 33 प्रतिशत राशि उक्त चौमाही में पूर्णतया खर्च नहीं हो पाती है तो अवशेष राशि अगली चौमाही अर्थात् 1ली अगस्त से 30 नवम्बर तक की चौमाही में खर्च करने के लिये उपलब्ध रहेगी, अर्थात् 30 नवम्बर तक, संचयात्मक रूप से बजट प्रावधान के 65 प्रतिशत तक राशि खर्च की जा सकेगी। इसी प्रकार, 31 मार्च तक शतप्रतिशत राशि का खर्च किया जा सकेगा, तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर अन-खर्च की गई राशि व्यपगत हो जायेगी।

5. कतिपय परिस्थितियों में, किसी कार्य विशेष हेतु, सम्बन्धित चौमाही में निर्धारित राशि से अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे मामलों में, सम्बन्धित चौमाही में निर्धारित प्रतिशत से अधिक, परन्तु बजट प्रावधान के अन्तर्गत, राशि खर्च करने के लिये, विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए वित्त विभाग से विचलनीकरण आदेश प्राप्त किया जा सकेगा।

6. निम्नलिखित मामलों में निर्गत राज्यादेशों/ स्वीकृत्यादेशों के आधार पर, बिना किसी प्रतिशत बंधेज के, सम्पूर्ण राशि की निकासी, नियमानुसार, एक मुश्त की जा सकेगी। ऐसे मामलों के लिए, अलग से, आवंटन आदेश जारी करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु जहां महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, वहां प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने के बाद ही राशि की निकासी, नियमानुसार, की जा सकेगी :—

(क) ऐसे मामले जिनके संबंध में महालेखाकार, बिहार का प्राधिकार-पत्र प्राप्त हो;

(ख) जमीन्दारी क्षति-पूर्ति बॉन्ड के भुगतान से सम्बन्धित सभी मामले;

(ग) सिलिंग एक्ट 16 (3) के तहत "8443-सिविल डिपोजिट-101" राजस्व जमा में जमा करायी गयी राशि की वापसी से संबंधित सभी मामले;

(घ) स्टाम्प खरीदगी के समय जमा कराई गई राशि की वापसी से संबंधित सभी मामले;

(च) ऐसे मामले जहां राशि की वापसी के लिए सक्षम न्यायालय/ प्राधिकार द्वारा आदेश दिया गया हो;

(छ) संवेदकों के अर्नेस्ट मनी/सिक्युरिटी मनी की वापसी से संबंधित सभी मामले;

(ज) स्थानीय निकायों द्वारा पी0एल0 खाता में जमा करायी गयी राशि में से संबंधित नगर निगम/नगरपालिका के कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु राशि की निकासी, आवश्यकतानुसार, की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित "चेक" पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि निकासी की जाने वाली राशि वेतनादि के भुगतान से संबंधित है और उसका उपयोग तुरंत कर लिया जायेगा तथा राशि निकासी कर, उसे बैंक एकाउन्ट में जमा नहीं किया जायेगा। नगर निगम/नगरपालिकाओं को अन्य मदों में तत्काल व्यय हेतु जमा करायी गयी राशि में से, आवश्यकतानुसार, प्रति चार माह में यथा कंडिका (2) में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार राशि की निकासी की जा सकेगी।

(झ) सरकारी कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी तथा अन्तिम निकासी से संबंधित सभी मामले;

(ट) गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार/मोटर सायकिल/साइकिल अग्रिम, त्योहार अग्रिम/स्वास्थ्य चिकित्सा अग्रिम/ प्रतिपूर्ति से संबंधित सभी मामले।

(ठ) श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बीमित कर्मी के चिकित्सा हेतु स्वीकृत की जाने वाली सम्पूर्ण राशि (जो अग्रिम या प्रतिपूर्ति के रूप में हो सकती है)। इसके लिये श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटन आदेश निर्गत करना आवश्यक होगा तथा संबंधित विपत्र में आवंटित राशि को यथा स्थान उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(ड) सेवा-निवृत्तोपरान्त सरकारी सेवकों के पावनों से संबंधित सभी मामले, जैसे, पेंशन, उपादान, उपार्जित छुट्टी के बदले नगद भुगतान, ग्रुप-बीमा योजना अन्तर्गत भुगतान एवं अनुग्रह अनुदान;

(ढ) जमपोष तथा न्यायाधीश आदेशों से संबंधित सभी मामले।

(ण) सिविल जमा/पी0 एल0 एकाउन्ट में जमा ऐसी राशियां जिसके निकासी के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्देश निर्गत किया गया हो।

7. वर्तमान में, बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 476 के प्रावधानों के तहत वेतनादि पर होने वाले व्यय के लिए आवंटन आदेश की विशिष्ट व्यवस्था नहीं है और न ही वेतन विपत्रों पर आवंटित राशि को अंकित करने का कोई स्थान ही निर्धारित है, जिसके कारण वेतनादि पर होने वाले खर्च पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता है। अतः सरकार ने वर्तमान व्यवस्था पर भली-भांति विचार कर वित्तीय वर्ष, 1997-98 में माह जुलाई, 1997 से वेतन विपत्रों की निकासी, आवंटन आदेश के आधार पर किये जाने का निर्णय वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-2254वि0/

(2), दिनांक 9 अप्रील, 1997 द्वारा संसूचित किया था; परन्तु विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा नई व्यवस्था को लागू करने में अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किये जाने पर, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उक्त आदेश के कार्यान्वयन को स्थगित रखा गया और आवंटन आदेश पर जोर दिये बिना वेतन विपत्रों को पारित करने का आदेश निर्गत किया जाता रहा। कालान्तर में, वित्त विभाग के पत्र संख्या 219/वि0(2), दिनांक 13 जनवरी, 1998, (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट-1) के जरिये यह निदेश निर्गत किया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मार्च माह के वेतन की निकासी, जो अप्रील माह में होती है तथा अप्रील माह के वेतनादि की निकासी जो अप्रील या मई माह के प्रथम सप्ताह में होती है, से संबंधित वेतन विपत्रों को बिना आवंटन आदेश के पारित किया जा सकेगा; परन्तु शेष महीनों का वेतन विपत्र पारित करने के पहिले वेतनादि के भुगतान के लिये भी आवंटन आदेश का जारी किया जाना आवश्यक होगा। उक्त परिपत्र के आलोक में राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह मई से फरवरी माह तक के वेतनादि की निकासी आवंटन आदेश के आधार पर होगी। मात्र मार्च एवं अप्रील माह के वेतनादि की निकासी हेतु आवंटन आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

8. राज्य सरकार के सभी विभागों/नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि भुगतान तथा अन्य व्ययों के लिये प्रत्येक वर्ष निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार राशि की गणना की जाती है, जिसके आधार पर वित्त विभाग द्वारा वस्तु-परक बजट बनाया जाता है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि सरकार के सभी विभागों/नियंत्री पदाधिकारियों को उनके मुख्यालय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिये, कार्यालयवार, स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सुनिश्चित जानकारी है और उसके आधार पर ही उनके द्वारा बजट बनाते समय वेतनादि की वास्तविक गणना की गई है और तदनुसार ही बजट में समुचित राशि का उपबन्ध भी कराया गया है। इस जानकारी के आधार पर प्रत्येक विभाग/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा माह अप्रील के अन्तिम सप्ताह में अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को वेतनादि भुगतान के लिये, कार्यालयवार, राशि आवंटित उप-आवंटित कर दी जायेगी, जिसके अन्तर्गत वेतन से संबंधित सभी विपत्र, बिना किसी प्रतिभार कौन के, सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बनाये जायेंगे और उन्हें पारित कराया जा सकेगा। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि राशि का आवंटन/उप-आवंटन, बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही किया जाय और यदि बजट मात्र लेखानुदान के रूप में पारित हुआ हो तो आवंटित की जाने वाली राशि मात्र लेखा अनुदान की अवधि के लिये होगी और जब सम्पूर्ण बजट पारित हो जायेगा तो शेष अवधि के लिये राशि आवंटित की जा सकेगी। यदि किसी विभाग/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यह पाया जायेगा कि बजट में प्रावधानित राशि उस विभाग/नियंत्री पदाधिकारी के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के लिए स्थापना व्यय के लिये काफी नहीं है तो संबंधित विभाग/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा, कारणों को दिखाते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वित्त विभाग से अतिरिक्त राशि की मांग, यथा समय रहते हुये, की जायेगी जिसका उपबंध वित्त विभाग द्वारा, मामले की समीचीनतानुसार, बिहार आकस्मिकता निधि अथवा अनुपूरक के माध्यम से किया जायेगा।

9. उपर्युक्त प्रकार से जो राशि स्थापना व्यय हेतु प्रत्येक कार्यालय को आवंटित की जायेगी, उसके अन्तर्गत ही प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों के सभी कर्मियों को संबंधित वित्तीय वर्ष में वेतनादि का भुगतान किया जायेगा। माह मार्च तथा अप्रील के लिये, बिना आवंटन आदेश की अनिवार्यता के, वेतनादि की निकासी की जा सकेगी; परन्तु माह मई के लिये जो वेतन-विपत्र बनाया जायेगा, उसमें संबंधित कार्यालय के लिये लेखानुदान की अवधि अथवा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये, जैसा कि केस हो, जो कुल राशि आवंटित हुई है, उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा और तत्पश्चात् उसमें से माह मार्च एवं अप्रील के दौरान जो राशि वास्तविक रूप से स्थापना मद में खर्च की जा चुकी है, उसे घटाकर दिखाया जायेगा। इस प्रकार जो राशि बचेगी, उसमें से माह मई के विपत्र में जो राशि शामिल होगी, उसे घटाकर दिखाया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि मई माह के स्थापना-विपत्र के भुगतान के बाद क्या अवशेष राशि बचती है। इस प्रकार जो अवशेष बचेगा, उसको अगले महीनों में स्थापना व्यय के भुगतान हेतु उपयोग में लाया जायेगा। प्रत्येक माह स्थापना विपत्र उपस्थापित करते समय सम्बन्धित कार्यालय के लिये स्थापना मद में पहिले से बची हुई राशि तथा उसमें से संबंधित माह के लिये विपत्र में शामिल राशि का उल्लेख किया जायेगा और इस प्रकार सम्पूर्ण वर्ष में आवंटित राशि के अन्तर्गत ही स्थापना खर्च हेतु राशि की निकासी की जा सकेगी।

10. उपर्युक्त प्रक्रिया अन्तर्गत, प्रत्येक कार्यालय के स्थापना मद पर होने वाले खर्च पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को लगातार निगाह रखना होगा। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को ऐसा लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी कार्यालय के लिये स्थापना-व्यय अन्तर्गत आवंटित की गयी राशि पर्याप्त नहीं होगी तो सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना, कारणों को दिखाते हुये, तुरत अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को दी जायेगी और अतिरिक्त राशि की मांग की जायेगी, जिससे कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी कर्मी के वेतनादि का भुगतान बाधित नहीं होने पाये। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से इस प्रकार का अनुरोध-पत्र प्राप्त होते ही सम्बन्धित नियंत्री पदाधिकारी/विभाग द्वारा इसकी समुचित जांच की जायेगी और तत्पश्चात, यदि आवंटित/उप-आवंटित की जाने वाली राशि विभागीय बजट में उपलब्ध है तो प्रशासी विभाग द्वारा सम्बन्धित राशि का अतिरिक्त आवंटन सम्बन्धित कार्यालय को अविलम्ब कर दिया जायेगा, परन्तु यदि सम्बन्धित विभाग/नियंत्री पदाधिकारी के पास अतिरिक्त आवंटन हेतु राशि उपलब्ध नहीं है तो अतिरिक्त राशि की आवश्यकता को दर्शाते हुए एवं उसके औचित्य को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग तुरन्त वित्त विभाग से की जायेगी।

11. सम्प्रति, जिन वेतन विपत्रों पर वेतनादि की निकासी की जा रही है, उनमें स्थापना-व्यय के लिये प्राप्त आवंटन एवं सम्बन्धित विपत्र से निकासी की जाने वाली राशि को अलग-अलग उल्लिखित करने का प्रावधान नहीं है और न ही इसके लिये वेतनादि-विपत्र में कोई स्थान भी निर्धारित है। ऐसा इसलिये है कि [illegible]

के अनुसार, माह मई एवं उसके बाद के महीनों के लिये वेतनादि से सम्बन्धित जो विपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे, उनमें आवंटित राशि तथा माहवार खर्च का उल्लेख करना आवश्यक होगा। अतः स्थापना सम्बन्धी सभी विपत्रों पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के ठीक ऊपर सम्बन्धित स्थापना-विपत्र के दाहिने हिस्से में, स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सूचना अंकित की जायेगी, जिसका सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा:—

(क) सम्बन्धित कार्यालय के लिये स्थापना मद में लेखानुदान की अवधि/सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित राशि;

(ख) इस विपत्र के पूर्व तक निकाली की गयी राशि;

(ग) वर्तमान विपत्र में निकासी हेतु प्रस्तावित राशि;

(घ) अवशेष राशि।

12. राज्य सरकार के सभी विभागों से अनुरोध है कि जहां कहीं योजना/गैर-योजना स्कीमों का अवधि विस्तार नहीं हुआ है, वहां ऐसे स्कीमों की अवधि विस्तार निश्चित रूप से माह सितम्बर तक करा लिया जाय और उनसे संबंधित राज्यादेशों को निर्गत कर दिया जाय क्योंकि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम4-29/96-5322/वि0(2), दिनांक 24 सितम्बर, 1996, में निहित अनुदेशों के अनुसार संबंधित स्कीमों के अवधि विस्तार न होने की स्थिति में, उनमें कार्यरत कर्मियों के वेतनादि की निकासी वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों की अवधि के बाद नहीं किया जा सकेगा। ऐसी अस्थाई योजनाओं में कार्यरत कर्मियों के लिये इस परिपत्र की कंडिका (8), (9) (10) एवं (11) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार स्थापना-व्यय हेतु मात्र प्रथम छः माह की अवधि के लिये वेतनादि के भुगतान हेतु राशि का आवंटन किया जा सकेगा; उसके बाद नहीं, पर यदि संबंधित अस्थाई स्कीम का अवधि विस्तार हो जाता है तो उसमें कार्यरत कर्मियों के लिये सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये आवंटन दिया जा सकेगा।

13. उपर्युक्त के आलोक में यह आवश्यक है कि सभी अस्थायी योजनाओं का अवधि-विस्तार जिन्हें आगे भी बनाये रखना आवश्यक है, माह सितम्बर तक, निश्चित रूप से, करा लिया जाय। साथ-ही, यह समीक्षा भी की जाय कि वैसी योजनाएं, जिन्हें अब चालू रखना आवश्यक नहीं है या जो अनुपयोगी हो गयी है, उन्हें समाप्त कर दिया जाय तथा उसमें कार्यरत कर्मियों को अन्यत्र सामंजन करने की कार्रवाई की जाय। इसके अलावा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में, लम्बे अर्से से चली आ रही जिन परियोजनाओं/पदों को स्थायी करने की आवश्यकता हो, उन्हें स्थायी करने की कार्रवाई की जाय और जहां-कहीं इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता हो, वैसे सभी मामलों में वित्त विभाग की सहमति अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय।

14. राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रतिष्ठानों, निकायों, अधसार्वभौम संस्थाओं इत्यादि को अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है। अभी तक का यह अनुभव रहा है कि ऐसी संस्थाओं/निकायों इत्यादि को अनुदान की राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रसांगिक प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासी विभागों से प्रायः वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होते रहे हैं, जिसके कारण न केवल अनुदान की राशि स्वीकृत करने में विलम्ब होता रहा है, अपितु, राशि के अभाव में ऐसी संस्थाओं का कार्य भी बाधित हुआ है और उनमें कार्यरत कर्मियों इत्यादि को वेतनादि प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा है। अतः सभी संबंधित विभागों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालयों/स्थानीय निकायों/अल्प संख्यक विद्यालयों आदि के सम्बन्ध में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है, यथा आवश्यक अनुदान स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विभाग को, निश्चित रूप से, माह जून तक अवश्य भेज दिया जाय। प्रस्ताव भेजते समय सम्बन्धित संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र, अंकेक्षण की स्थिति तथा अन्य सुसंगत बातों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

15. वित्त विभाग के बेतार संवाद संख्या 140/एप0सी0, दिनांक 4 अप्रैल, 1990 के द्वारा रुपया 10,000 (दस हजार रुपया) से अधिक राशि की अग्रिम की निकासी वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा यह बात उठाई गई है कि कतिपय सामानों के क्रय हेतु, उसका मूल्य अग्रिम के रूप में विक्रेता को देना पड़ता है, जैसे, स्टाफकार की खरीदगी, अस्पतालों के लिये महंगे उपकरणों की खरीदगी, या निर्माण विभागों में निर्माण सामग्रियों का क्रय, जैसे, बिटुमेन, पाइप, मशीनरी इत्यादि, जिसके लिये दस हजार रुपयों से अधिक राशि की निकासी अग्रिम के रूप में करनी पड़ती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार के प्रत्येक अग्रिम निकासी के मामले में अभी वित्त विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त करना होता है, जिसमें अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः इस मामले की समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल वित्त विभाग बेतार संवाद संख्या 140/एप0 सी0, दिनांक 4 अप्रैल, 1990, को वापस ले लिया जाय तथा क्रय से सम्बन्धित किसी मामला-विशेष में अग्रिम राशि की निकासी की जाय अथवा नहीं, इसकी जिम्मेवारी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव पर सौंपी जाय जो वित्तीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर इस संबंध में यथोचित निर्णय लेंगे और आवश्यकतानुसार, राशि की अग्रिम निकासी के सम्बन्ध में आदेश पारित कर सकेंगे, जिसकी सान्यता कोषागारों द्वारा दी जायेगी। तदनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष से अग्रिम निकासी से सम्बन्धित सभी मामले इस नई व्यवस्था से आच्छादित होंगे। एहतियात के तौर पर यह दोहराना उचित होगा कि सामान्यतया अग्रिम के रूप में राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। प्रयास यह होना चाहिये कि विक्रेता से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त करने के बाद ही, उसका भुगतान किया जाय। फिर भी, यदि अत्यन्त आवश्यकता हो तो बिहार पब्लिक वर्क्स एकाउन्टस कोड, बिहार वित्तीय नियमावली तथा बिहार कोषागार संहिता में निहित नियमों का अनुपालन करते हुए ही अग्रिम राशि की निकासी की जा सकेगी। किसी भी हालत में, निकासी की गई राशि को बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उसका खर्च अवश्य कर लिया जायेगा। दूसरे शब्दों में, अग्रिम राशि की निकासी तभी की जा सकेगी जब राशि निकासी से एक माह की अवधि के अन्तर्गत उसकी आवश्यकता क्रय की जा रही सामग्रियों

के भुगतान के लिये होगी। अनावश्यक रूप से राशि निकासी कर, उसे बेकार नहीं रखा जायेगा । दी जानेवाली अग्रिम राशि के विरुद्ध, आवश्यकतानुसार, बैंक गारंटी आवश्य प्राप्त कर ली जायेगी जिससे कि सरकार की राशि सुरक्षित रहे।

16. सम्पूर्ण तथ्यों पर पूर्ण रूपेण विचार कर जिन मामलों में प्रशासी विभाग अग्रिम राशि की निकासी करना चाहेगा, वैसे मामलों में प्रशासी विभाग द्वारा अग्रिम निकासी हेतु स्वीकृत्यादेश/एम्प्यादेश निर्गत किया जायेगा और उसके आधार पर सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उतनी राशि नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आवंटित कर दी जायेगी। आवंटन आदेश में जितनी राशि की निकासी अग्रिम के रूप में की जानी है उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से रहेगा और यह बात भी अंकित रहेगी कि आवंटित राशि बजट प्रावधान के अन्तर्गत है तथा उस प्रतिशत से आच्छादित है, जिस प्रतिशत तक सम्बन्धित मदवार में राशि खर्च करने के लिये विभाग को सक्षमता प्राप्त है। यदि आवंटित राशि निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत नहीं है तो जिस संचिका में क्रय हेतु निर्णय लिया गया है तथा राशि आवंटित की गयी है, उसी संचिका में, निर्धारित प्रतिशत से हटकर, राशि निकासी हेतु वित्त विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि खर्च की जाने वाली राशि कुल बजट प्रावधान के अन्तर्गत हो। एक अग्रिम की राशि के रहते हुये, उसी पार्टी को दूसरी अग्रिम की राशि नहीं दी जा सकेगी।

17. उपर्युक्त कंडिका 15 एवं 16 में वर्णित तथ्यों के आलोक में अग्रिम राशि की निकासी करते समय, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार कोषागार संहिता भाग I के नियम 300 एवं उसकी टिप्पणी में निहित प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखना होगा।

18. यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बजट उपबंध के अनुसार राशि आवंटित करने, उसे खर्च करने तथा व्यय पर नियंत्रण रखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विभागों, उनके नियंत्री पदाधिकारियों तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की है।

बिहार वित्तीय नियमावली (भाग I) के नियम 473 के प्रावधानों के अनुसार सभी नियंत्री पदाधिकारियों को अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिए बजट प्रावधानित राशि का आवंटन, यथा आवश्यकतानुसार, करने का अधिकार प्राप्त है। आवंटित राशि के व्यय पर नियंत्रण हेतु उक्त नियमावली के नियम 475 में विस्तृत निदेश दिये गये हैं, जिनका अनुपालन प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी/निकासी तथा व्ययन पदाधिकारी को दृढ़तापूर्वक करना आवश्यक है ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक राशि का खर्च नहीं होने पाये। वित्तीय नियंत्रण के लिये वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल, सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का भी ध्यान रखना तथा उनका दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना आवश्यक है। इस संबंध में खास तौर से वित्त विभाग के पत्र संख्या 09/ए0एफ0सी0 (ई0), दिनांक 30 जनवरी, 1996, (परिशिष्ट 2), तथा पत्र संख्या एम-4-09/96 (खंड I)-1225, दिनांक 11 मार्च, 1996, (परिशिष्ट 3) में, निहित प्रावधानों की ओर सभी विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों/नियंत्री पदाधिकारियों का ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि उक्त पत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन उनके द्वारा दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित कराया जाये जिससे कि खर्च पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। उक्त दोनों परिपत्रों में, मुख्य रूप से, विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/अपर आयुक्त के हस्ताक्षर से आवंटन आदेश निर्गत करने सम्बन्धित अनुदेश निहित है। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या को0ले0वि0-9/97-321 को0ले0, दिनांक 26 फरवरी, 1997, में आवंटन पंजी के संधारण तथा आवंटन आदेशों को मूल रूप से रोकड़बही में हस्ताक्षरित करने संबंधी अनुदेश निहित है (परिशिष्ट 4)/वित्त विभाग के पत्र संख्या को0ले0नि0-9/97-300/को0ले0, दिनांक 24 फरवरी, 1997 (परिशिष्ट 5), में व्यय नियंत्रण पंजी के संधारण तथा लेखा रिकौंसिलियेशन के संबंध में कार्य विभागों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य के सभी अन्य विभागों द्वारा भी अपनाई जायेगी। अतः अनुरोध है कि उक्त पत्रों में दिये गये निदेशों का दृढ़तापूर्ण अनुपालन करने की कार्यवाई की जाय।

19. सम्प्रति, वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए मात्र चार महीनों का लेखानुदान विधान मंडल द्वारा पारित किया गया है। अतः सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित खर्च की कुल राशि में से सम्प्रति मात्र एक तिहाई राशि ही व्यय के लिए अनुमान्य है। अतः तदनुसार सभी विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों/नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा, फिलहाल, वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम चार महीनों के लिए ही आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा तथा तदनुसार खर्च की राशि प्राधिकृत की जायेगी। बिहार विधान मंडल द्वारा सम्पूर्ण बजट पारित हो जाने के पश्चात् वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के शेष अतिरिक्त 8 (आठ) माह के लिए भी खर्च की राशि अनुमान्य हो जायेगी और तदनुसार एक और आवंटन आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

20. प्रत्येक आवंटन आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि "संबंधित आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम0-4-05/98-2561-वि0(2), दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। तत्पश्चात् ही, प्रशासी विभागों द्वारा निर्गत आवंटन आदेशों के आधार पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कोषागार/उप-कोषागार से राशि की निकासी की जा सकेगी। राशि की निकासी के पूर्व संबंधित बिपत्र पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा उस प्रसंगाधीन प्रशासी विभाग के आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा जिसके आधार पर संबंधित बिपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही, इस आशय का प्रमाण-पत्र भी बिपत्र पर अंकित करना होगा कि बिपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिये संबंधित व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक बिपत्र के साथ संबंधित आवंटन आदेश की प्रतिलिपि भी व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से संलग्न की जायेगी।

21. उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित अनुदेश राज्य सरकार के प्रशासी विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लिये है। राजभवन, उच्च न्यायालय, विधान-मंडल, लोकायुक्त तथा बिहार लोक सेवा आयोग के लिये ये अनुदेश स्वतः लागू नहीं समझे जायेंगे। राजभवन, उच्च न्यायालय, विधान-मंडल, लोकायुक्त तथा बिहार लोक सेवा आयोग, अपने बजट प्रावधान के अधीन, यथा पूर्व की भांति, राशि की निकासी, नियमानुसार,

कर सकेंगे।

22. सभी विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों/नियंत्री पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक माह में होने वाले व्यय का अनुश्रवण स्वयं करेंगे तथा यह सुनिश्चित करायेंगे कि बजट प्रावधान के अनुरूप ही राशि की निकासी एवं व्यय सभी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा की जाय। वे इसकी सूचना प्रत्येक माह पर वित्त विभाग को भी देंगे। विभागीय सचिवों का यह भी दायित्व होगा कि वे अपने विभाग से संबंधित मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष के अन्तर्गत हुये व्यय का सत्यापन नियमित रूप से महालेखाकार कार्यालय से अवश्य कराते रहें। इस हेतु वे विभागीय स्तर/प्रमंडलीय स्तर पर, यथा आवश्यक, समीक्षा हेतु बैठकों का आयोजन करायेंगे।

23. सभी प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध है कि वे अपने अधीन आयोजित होने वाले मासिक/त्रैमासिक बैठकों में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जा रहे व्यय की समीक्षा निश्चित रूप से करने की कृपा करें। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिये यह आवश्यक होगा कि विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों/नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा निर्गत सभी आवंटित आदेशों की प्रति निश्चित रूप से प्रमंडलीय आयुक्तों को भी भेजी जाय। समीक्षा के दौरान यदि ऐसा कोई मामला आयुक्त की निगाह में आता है जहां बजट उपबंध से हटकर अथवा अधिक खर्च किया गया है तो वे इसकी सूचना तुरन्त संबंधित विभाग तथा वित्त विभाग को देंगे। संबंधित कोषागारों द्वारा लेखा समर्पण की स्थिति तथा कार्य विभागों के प्रमंडलों एवं वन विभाग के प्रमंडलों द्वारा मासिक-लेखा समर्पण की स्थिति की भी समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा की जायेगी।

24. संबंधित सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोषागार द्वारा संधारित मासिक-लेखा समय पर महालेखाकार, बिहार को प्राप्त हो जाय। वे मासिक-लेखा की एक प्रति प्रतिमाह निश्चित रूप से वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

विजय शंकर दूबे,
आयुक्त एवं सचिव,
वित्त विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या 2561/वि0(2)

दिनांक 17 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि—प्रधान महालेखाकार, बिहार, राँची/पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विजय शंकर दूबे,
आयुक्त एवं सचिव,
वित्त विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या 2561/वि0(2)

दिनांक 17 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि—प्रधान सचिव, राजभवन सचिवालय/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान-सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विजय शंकर दूबे,
आयुक्त एवं सचिव,
वित्त विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या 2561/वि0(2)

दिनांक 17 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि—सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विजय शंकर दूबे,
आयुक्त एवं सचिव,
वित्त विभाग, बिहार।

सत्यमेव जयते

संख्या लो०ले०स०/अ० व्यय/20–21/153/148
No.
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना – 800001

Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar,
Birchand Patel Marg, Patna - 800001

सेवा में,

निदेशक,
बिहार विधान सभा,
पटना – 800001

दिनांक 4 फरवरी, 2021 (ई०)।

विषय—वित्तीय वर्ष 1989–90 के विनियोग लेखे में अनुदान संख्या 27 परिवार कल्याण विभाग में हुये रुपया 34,46,983 के अधिकाई व्यय के विनियमितिकरण के संबंध में।

प्रसग—वित्त विभाग का ज्ञापांक 9/अ०लो०ले०स० (अधि० व्यय)–19/2010–6233, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के प्रसंगाधीन पत्र तथा दिनांक 25 जनवरी, 2021 को सम्पन्न लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक में समिति के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि अधिकाई व्यय के विनियमितिकरण के संदर्भ में लोक सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली (Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha) के नियम 308(4) एवं संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ख) का उल्लेख अपेक्षित होगा। नियम 308(4) के अनुसार "किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके उद्देश्य हेतु अनुदान की गयी राशि से यदि अधिक राशि का व्यय हो गया है तो लोक लेखा समिति द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्य के संदर्भ में अधिक व्यय होने की परिस्थिति की जाँच की जायेगी तथा उपयुक्त अनुशंसा की जायेगी।"

पुनः संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ख) के अनुसार यदि "किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिये अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राज्यपाल, यथास्थिति, राज्य के विधान–मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिये माँग प्रस्तुत करवायेगा।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधिकाई व्यय के विनियमितिकरण की प्रक्रिया में इस कार्यालय की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

अतः उपरोक्त अनुदान से संबंधित अधिकाई व्यय के विनियमितिकरण के विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति है तो निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुये विनियमितिकरण की कार्रवाई की जा सकती है।

भवदीय,
कुन्दन कुमार,
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी,
लोक लेखा समिति।

लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक जो दिनांक 4 फरवरी, 2021 को 12:00 बजे मध्याह्न में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष में हुई, की कार्यवाही।

उपस्थिति

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	सभापति
श्री विजय शंकर दूबे	सदस्य
श्री अवध विहारी चौधरी	सदस्य
श्री महेश्वर हजारी	सदस्य
श्री नीतीश मिश्रा	सदस्य
श्री नितिन नवीन	सदस्य
श्री विजय कुमार खेमका	सदस्य
श्री आलोक कुमार मेहता	सदस्य
श्री मेवालाल चौधरी	सदस्य
श्री कुमार शैलेन्द्र	सदस्य

महालेखाकार कार्यालय

श्री प्रवीण कुमार सिंह	प्रधान महालेखाकार
श्री रामावतार शर्मा	महालेखाकार
श्री आदर्श अग्रवाल	उप–महालेखाकार
श्री कुंदन कुमार	वरीय लेखा पदाधिकारी

विभागीय पदाधिकारीगण

श्री लोकेश कुमार सिंह	सचिव (संसाधन), वित्त विभाग
श्री ओम प्रकाश झा	अपर सचिव, वित्त विभाग

सभा सचिवालय

श्री भूदेव राय	निदेशक

सभापति—अब बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

भूदेव जी आज का क्या मामला है ?

निदेशक—आज की बैठक वित्तीय वर्ष 1989–90 में माँग संख्या–27, परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 34,46,983 के अधिकाई व्यय के विनियमन के संबंध में है। पिछली बैठक में इस विषय पर विस्तृत रूप से डिस्कशन हुआ था। यह जो अधिकाई व्यय है वह वेतन शीर्ष से संबंधित है। उस समय आवंटन की प्रक्रिया नहीं थी स्वास्थ्य विभाग में वेतन से संबंधित अधिकाई व्यय हुआ था। इसमें स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग दोनों ने यह सत्यापित किया है और सर्टिफिकेट भी दिया है कि जो अधिकाई व्यय की राशि है वह गबन, दुर्विनियोजन, चोरी के मामले से संबंधित नहीं है और इससे संबंधित मामला किसी न्यायालय में भी लम्बित नहीं है। समिति द्वारा इस पर महालेखाकार को अपना विचार देने को कहा गया था। इसी संबंध में बैठक आज निर्धारित है और महालेखाकार का पत्र भी आ गया है और अब इस विषय पर समिति को निर्णय लेना है।

सभापति—हम चाहेंगे कि प्रधान महालेखाकार अपनी बात को रखें।

प्र0 महालेखाकार—सर, पिछली बैठक में मैंने बताया था कि बजटीय प्रावधान के द्वारा विभाग को जो बजट दिया जाता है उसमें विभाग द्वारा किस मद में कितना एक्सपेंस हुआ है या नहीं हुआ है, उस एक्सपेंडिचर को हमारा कार्यालय कम्पाइल करता है। परंतु यह सैलरी हेड का मामला है, इसमें हमारा ज्यादा रोल नहीं है। हमने विभाग के रिपोर्ट को एक्जामिन करके समिति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। अगर समिति चाहे तो इसको वेरिफाई कर सकती है। दूसरी बात, इसमें जो अधिकाई व्यय पूँजीगत परिव्यय मद में लिखा गया है तो विभाग इसे एक बार देख लें।

श्री मेवालाल चौधरी—यह कोई नयी बात नहीं है, सैलरी एक्सपेंडिचर अगर घट जाता है तो पोस्ट–फैक्टो भी सैंक्शन होता है।

प्र0 महालेखाकार—विभाग के पास कर्मचारियों का डाटा होता है, उनकी ऐवरेज सैलरी उनको पता होती है। अगर विभाग को वेतन मद में अधिक खर्च की जरूरत महसूस होती है तो विभाग रिभाईन्ड बजट की प्रक्रिया अपना सकती है इसलिये कहीं न कहीं मॉनिटरिंग प्रक्रिया और बजटिंग कंट्रोल में असावधानी हुई है।

महालेखाकार—सर, यह जो प्वाइंट है अधिकाई व्यय का है। अगर गलत मद में राशि खर्च हुई होती तो वह ऑडिट पैरा बन जाता है। इस अधिकाई व्यय को रेगुलराईज करने की प्रक्रिया है।

श्री मेवालाल चौधरी—यह जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है, वह अपने सेविंग के इंटरेस्ट से या बजटरी प्रोविजन से ?

सचिव—सर, इसमें इशू यह है कि 1998 में जो सर्कुलर निकला, उसके पहले बजट प्रोविजन में एलोकेशन का प्रावधान नहीं था। उस समय सैलरी मद के लिये पैसा बिल प्रस्तुत करके ट्रेजरी से व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा निकाला जाता था। उस समय बजट प्रोविजन से ज्यादा व्यय होता था तो महालेखाकार के द्वारा जब ऑडिट की जाती थी तो इसकी जानकारी मिलती थी। 1998 के बाद सैलरी में एलॉटमेंट की व्यवस्था सी0टी0एम0आई0एस0 द्वारा की गई और आज की तिथि में सी0एफ0एम0एस0 है। आज किस डी0डी0ओ0 को कितना पैसा एलॉट किया गया है, यह ऑनलाईन पता चल जाता है और उसी के अन्दर राशि की निकासी हो सकती है।

श्री मेवालाल चौधरी—सैलरी हेड का पैसा जो सेविंग हेड में रहता है और उससे जो ब्याज प्राप्त होता है तो उस ब्याज से सैलरी या एरियर का भुगतान नहीं हो सकता है ?

सचिव—सर, इस पर हम यह कहना चाहेंगे कि किसी भी सरकारी कार्यालय में वेतन की निकासी बजटीय प्रावधान के द्वारा होती है लेकिन जहाँ पर कारपोरेशन है, कोई सोसायटी है या कोई बोर्ड है तो वहाँ पर हमलोग उसको ग्रांट देते हैं। उनके कर्मी जो सरकारी कर्मी नहीं होते हैं तो उनकी सैलरी का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है और जो सरकारी कर्मी होते हैं उनकी सैलरी का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है। जहाँ ट्रेजरी की व्यवस्था है वहाँ सेविंग इंटरेस्ट की बात ही नहीं होगी लेकिन निगम अपने आय से वेतन देता है इसलिये वह इसमें स्वतंत्र है।

श्री नीतीश मिश्रा—पूँजीगत व्यय जो टिप्पणी में है उसपर क्या कहना है ?

सचिव—पूँजीगत परिव्यय शब्द सी0ए0जी0 के टिप्पणी में ही आया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट आया है उसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई तथा बाँका के कार्यालयों में पदस्थापित कर्मी/पदाधिकारी के वेतनादि में खर्च के लिये निकासी की गई थी।

श्री मेवालाल चौधरी—यानी इस तरह के मामले अब भविष्य में नहीं होंगे ?

सचिव—जी,सर। आज की तिथि में हमारा जो ऑनलाईन सी0एफ0एम0एस0 सिस्टम है उसमें तो एलॉटमेंट से ज्यादा खर्च हो ही नहीं सकता है।

सभापति—यह जो एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू व्यय का है, पूँजीगत व्यय का नहीं है, इस पर तो कोई शक नहीं है। जहाँ भी मिस्टेक हुआ है महालेखाकार के एकाउंट में हुआ है या विभाग के जवाब में तो माना जाये कि यह रेवेन्यू एक्पेंडिचर है, इसपर सबकी सहमति हो गई है। पिछली बैठक में महालेखाकार कार्यालय को अपना ओपिनियन देने के लिये कहा गया था इस संदर्भ में उनका लेटर समिति को प्राप्त हो गया है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि उपरोक्त अनुदान से संबंधित अधिकाई व्यय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति है तो निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुये विनियमितिकरण की कार्रवाई की जा सकती है।

वित्त विभाग का पत्र जिसमें स्वास्थ्य विभाग का भी जवाब संलग्न है। उसमें अंकित है कि यह मामला गबन, दुर्विनियोजन, चोरी इत्यादि का नहीं है और इस मामले से संबंधित कोई विषय न्यायालय में लम्बित नहीं है तथा महालेखाकार की राय भी इसपर आ गई है तो समिति इस राशि को जो वर्ष 1989–90 के विनियोग लेखे की माँग संख्या 27, परिवार कल्याण विभाग से संबंधित रुपया 34,46,983 के अधिकाई व्यय को विनियमितिकरण करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ख) के तहत अनुशंसा करती है।

विभिन्न विभागों से प्राप्त निम्नलिखित पत्रों को समिति के समक्ष रखा गया :—

(1) वित्त विभाग, पत्रांक 771, दिनांक 28 जनवरी, 2021, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या 702 के कार्यान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पत्र।

(2) वित्त विभाग, पत्रांक 665, दिनांक 25 जनवरी, 2021, सी0ए0जी0 के वर्ष 2008–09 से अबतक की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु वाणिज्य कर/ग्रामीण विकास एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र।

(3) ए0 जी0, बिहार, पत्रांक 145, दिनांक 27 जनवरी, 2021, सी0 ए0 जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 की कंडिका 2.2 (सा0 सा0 एवं आ0 प्र0) के अनुपालन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पत्र।

(4) संसदीय कार्य, पत्रांक 86, दिनांक 27 जनवरी, 2021 संसदीय कार्य विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 701 में दर्ज समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग को पत्र।

तदुपरान्त बैठक स्थगित हुई।

बि0स0मु0, 8(एल0ए0), 2021–22–डी0टी0पी0–400

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2021